

नौवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

मांग संख्या 86

नौवहन विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

मुख्य शीर्ष	बजट 2007-2008			संशोधित 2007-2008			बजट 2008-2009			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	185.00	816.50	1001.50	151.18	816.50	967.68	196.01	741.50	937.51	
पूंजी	568.50	-16.50	552.00	423.82	-16.50	407.32	394.24	-31.50	362.74	
जोड़	753.50	800.00	1553.50	575.00	800.00	1375.00	590.25	710.00	1300.25	
1. सचिवालय आर्थिक सेवाएं पत्तन और दीपस्तंभ पत्तन	3451	...	11.24	11.24	...	11.76	11.76	...	12.37	12.37
2. कोचीन पत्तन न्यास की रेल संयोजकता परियोजना	5051	100.01	...	100.01	100.00	...	100.00	...	100.00	
3. कोचीन पत्तन न्यास की पूंजी तलकर्षण परियोजना	5051	40.00	...	40.00	
4. पाराद्वीप पत्तन न्यास की पूंजी तलकर्षण परियोजना	5051	45.00	...	45.00	45.00	...	45.00	0.01	...	0.01
5. विशाखापटनम पत्तन न्यास को ऋण (ईएपी-जेबीआईएसी)	7051	8.00	...	8.00	1.00	...	1.00	6.00	...	6.00
6. तृतीकोरिन पत्तन न्यास की पूंजी तलकर्षण परियोजना	5051	1.00	...	1.00	0.01	...	0.01	0.99	...	0.99
7. इनौर पत्तन न्यास की पूंजी तलकर्षण परियोजना	5051	0.50	...	0.50	
8. तलकर्षण और सर्वेक्षण संस्थान	3051	...	415.86	415.86	...	435.90	435.90	...	404.73	404.73
9. लघु पत्तनों का विकास	5051	158.25	...	158.25	56.80	...	56.80	96.00	...	96.00
	3601	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	0.98	...	0.98
	जोड़	159.25	...	159.25	57.80	...	57.80	96.98	...	96.98
10. अन्य व्यय जोड़ - पत्तन दीप स्तंभ	3051	18.01	22.83	40.84	3.73	22.72	26.45	6.80	25.53	32.33
		331.27	438.69	769.96	207.54	458.62	666.16	251.28	430.26	681.54
11. निदेशन और प्रशासन	3051	...	11.87	11.87	...	11.87	11.87	...	14.69	14.69
12. दीप स्तंभ और दीप पोत										
12.01 सकल कार्यचालन व्यय	3051	...	98.13	98.13	...	103.13	103.13	...	100.31	100.31
12.02 घटाएँ प्राप्तियाँ	1051	...	-110.00	-110.00	...	-115.00	-115.00	...	-115.00	-115.00
	निवल	...	-11.87	-11.87	...	-11.87	-11.87	...	-14.69	-14.69
13. दीप स्तंभ और नौचालन संबंधी अन्य सहायक साधनों का निर्माण और विकास जोड़-दीपस्तंभ	5051	25.00	-25.00	...	25.00	-25.00	...	40.00	-40.00	...
		25.00	-25.00	...	25.00	-25.00	...	40.00	-40.00	...
जोड़-पत्तन और दीपस्तंभ नौवहन		356.27	413.69	769.96	232.54	433.62	666.16	291.28	390.26	681.54
14. महानिदेशक नौवहन	3052	...	33.47	33.47	...	126.14	126.14	0.01	35.00	35.01
15. अन्य व्यय										
15.01 भारतीय सामुद्रिकी विश्वविद्यालय का विकास	5052	40.00	...	40.00	14.00	...	14.00	1.00	...	1.00
15.02 सर्वेक्षण जलयानों की खरीद	5052	19.00	...	19.00	5.00	...	5.00	79.00	...	79.00
15.03 सूचना प्रौद्योगिकी का विकास और मछुआरा प्रशिक्षण	5052	2.50	...	2.50	0.50	...	0.50	1.24	...	1.24
	जोड़	61.50	...	61.50	19.50	...	19.50	81.24	...	81.24
पोत निर्माण										
16. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को योजना भिन्न-ऋण										
16.01 हुगली डॉक एवं पत्तन इंजीनियर लि.	6858	...	8.50	8.50	...	8.50	8.50	...	8.50	8.50
17. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन										
17.01 सीआईडब्ल्यूटीसी	3056	0.01	0.01
18. अन्य सब्सिडियाँ										
18.01 कोचीन शिपयार्ड लि.	2852	...	120.00	120.00	...	120.00	120.00	...	120.00	120.00
18.02 एच एस एल	2852	...	53.69	53.69	...	44.33	44.33	...	50.01	50.01
18.03 गैर-केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम शिपयार्ड और निजी क्षेत्र शिपयार्ड	2852	...	132.00	132.00	...	28.00	28.00	...	60.00	60.00
	जोड़	...	305.69	305.69	...	192.33	192.33	...	230.01	230.01
19. राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केन्द्र को सहायता	2852	5.50	3.80	9.30	5.50	3.80	9.30	6.00	3.80	9.80

(करोड़ रुपए)

मुख्य शीर्ष	बजट 2007-2008			संशोधित 2007-2008			बजट 2008-2009			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
20. अन्य व्यय	2852	2.49	...	2.49	2.35	...	2.35	2.20	7.00	9.20
जोड़	7.99	3.80	11.79	7.85	3.80	11.65	8.20	10.80	19.00	
जोड़-नौवहन	69.49	351.46	420.95	27.35	330.77	358.12	89.45	284.32	373.77	
21. अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	5075	147.73	...	147.73	146.73	...	146.73	7.50	...	7.50
22. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	4858	11.01	...	11.01	18.78	...	18.78	16.00	...	16.00
	6858	11.00	...	11.00	11.00	...	11.00	6.00	...	6.00
जोड़	22.01	...	22.01	29.78	...	29.78	22.00	...	22.00	
<i>अन्तर्देशीय जलपरिवहन</i>										
23. प्रशिक्षण और अनुसंधान	3056	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
24. जल परिवहन सेवाओं का विकास - भारतीय अन्तर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण को अनुदान	3056	78.10	10.70	88.80	78.10	11.24	89.34	117.00	11.82	128.82
25. सीआईडब्ल्यूटीसी को सांविधिक देयताओं के नकदीकरण के लिए अनुदान	3056	...	10.80	10.80	...	10.50	10.50	...	9.12	9.12
26. अन्य कार्यक्रम	3056	3.00	0.01	3.01	2.00	0.01	2.01	2.00	0.01	2.01
	3601	0.02	...	0.02
जोड़	3.00	0.01	3.01	2.00	0.01	2.01	2.02	0.01	2.03	
जोड़-अंतर्देशीयजल परिवहन अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	82.10	21.51	103.61	81.10	21.75	102.85	120.02	20.95	140.97	
27. बंगला देश को सहायता	3605	...	2.10	2.10	...	2.10	2.10	...	2.10	2.10
28. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	75.90	...	75.90	57.50	...	57.50	60.00	...	60.00
कुल जोड़	753.50	800.00	1553.50	575.00	800.00	1375.00	590.25	710.00	1300.25	
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास	बजट	आं.ब.	जोड़	बजट	आं.ब.	जोड़	बजट	आं.ब.	जोड़
पत्तन	शीर्ष	समर्थन	बा.सं.	समर्थन	समर्थन	बा.सं.	समर्थन	समर्थन	बा.सं.	समर्थन
22.01 कोलकाता पत्तन न्यास	13051	...	37.36	37.36	...	51.02	51.02	...	44.47	44.47
22.02 कोचीन पत्तन न्यास	13051	...	58.51	58.51	...	79.88	79.88	...	115.65	115.65
22.03 पारादीप पत्तन	13051	...	55.00	55.00	...	52.24	52.24	...	287.99	287.99
22.04 तूतीकोरीन पत्तन	13051	...	78.46	78.46	...	62.70	62.70	...	95.88	95.88
22.05 जवाहर लाल नेहरु पत्तन	13051	...	188.18	188.18	...	75.37	75.37	...	175.17	175.17
22.06 नया मंगलौर पत्तन	13051	...	36.00	36.00	...	36.00	36.00	...	30.00	30.00
22.07 चेन्नई पत्तन न्यास	13051	...	47.81	47.81	...	36.58	36.58	...	72.95	72.95
22.08 मुम्बई पत्तन न्यास	13051	...	50.36	50.36	...	36.61	36.61	...	150.00	150.00
22.09 कूण्डला पत्तन न्यास	13051	...	89.49	89.49	...	49.36	49.36	...	140.87	140.87
22.10 मारेमुगाव पत्तन	13051	...	10.10	10.10	...	15.92	15.92	...	22.07	22.07
22.11 विशाखापत्तनम पत्तन	13051	...	75.00	75.00	...	39.07	39.07	...	33.97	33.97
22.12 एन्नोर पत्तन	13051	...	61.00	61.00	...	40.00	40.00	...	69.50	69.50
जोड़ - पत्तन	...	787.27	787.27	...	574.75	574.75	...	1238.52	1238.52	
22.13 भारतीय तलकर्षण निगम	13051	...	300.00	300.00	...	243.59	243.59	...	494.40	494.40
22.14 सेतुसमुद्रम पोत परिवहन नहर परियोजना	13075	...	524.00	524.00	...	524.00	524.00	...	1580.07	1580.07
<i>पोत निर्माण</i>										
22.15 हिन्दुस्तान शिपयार्ड	12858	18.00	...	18.00	25.78	...	25.78	18.00	...	18.00
22.16 कोचीन शिपयार्ड	12858	...	65.00	65.00	...	59.00	59.00	...	354.00	354.00
22.17 हुगली डाक और पत्तन इंजीनियरिंग कं. लि.	12858	4.01	...	4.01	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00
जोड़ - जहाज निर्माण नौवहन	22.01	65.00	87.01	29.78	59.00	88.78	22.00	354.00	376.00	
22.18 भारतीय नौवहन निगम	13052	...	1836.00	1836.00	...	1099.00	1099.00	...	2342.01	2342.01
जोड़ - सरकारी उद्यमों में कुल निवेश	22.01	3512.27	3534.28	29.78	2500.34	2530.12	22.00	6009.00	6031.00	
ग. आयोजना परिव्यय *										
1. इंजीनियरी उद्योग	12858	30.00	65.00	95.00	37.63	59.00	96.63	30.20	354.00	384.20
2. पत्तन और दीपस्तंभ	13051	356.27	1087.27	1443.54	232.54	818.34	1050.88	291.28	1732.92	2024.20
3. नौवहन	13052	214.73	1836.00	2050.73	171.73	1099.00	1270.73	98.50	2342.01	2440.51
4. अंतर्देशीय जल परिवहन	13056	82.10	...	82.10	81.10	...	81.10	120.02	...	120.02
5. अन्य परिवहन सेवाएं	13075	...	524.00	524.00	...	524.00	524.00	...	1580.07	1580.07
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	75.90	...	75.90	57.50	...	57.50	60.00	...	60.00
जोड़	759.00	3512.27	4271.27	580.50	2500.34	3080.84	600.00	6009.00	6609.00	
* शहरी विकास मंत्रालय की मांगों में उपलब्ध कराए गए निर्माण कार्य परिव्यय को मिलाकर /										
	13052	5.50	...	5.50	5.50	...	5.50	9.75	...	

1. यह प्रावधान नौवहन विभाग के सचिवालय पर व्यय के लिए है।
2. यह प्रावधान कोचीन पोर्ट ट्रस्ट की रेल संयोजकता परियोजना के लिए है जो सरकार का प्रत्यक्ष पूंजी व्यय है।
3. यह प्रावधान कोचीन पोर्ट ट्रस्ट की तलकषण परियोजना के लिए है जो सरकार का प्रत्यक्ष पूंजी व्यय है।
4. यह प्रावधान पारादीप पत्तन न्यास की तलकषण प्राप्त परियोजना के लिए है। जो सरकार का प्रत्यक्ष पूंजी व्यय है।
5. यह प्रावधान यंत्रीकृत अयस्क व्यवस्था संयंत्र के विकास के लिए विशाखापत्तन पत्तन न्यास की विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए है।
6. यह प्रावधान तूतीकोरीन पोर्ट ट्रस्ट की पूंजी तलकषण परियोजना के लिए है।
7. यह प्रावधान एन्नोर पोर्ट ट्रस्ट की पूंजी तलकषण परियोजना के लिए है।
8. इस व्यवस्था में कोलकता पत्तन न्यास गो हुगली नदी और हल्दिया जलमार्ग के तलकषण और अनुसंधान के लिए अदायगी और लघु पत्तन सर्वेक्षण संगठन के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।
9. यह व्यवस्था अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में अवतरण सुविधाओं और जेटियों के निर्माण, तथा लक्ष्यद्वीप द्वीपसमूह में नौ चालन सुविधाओं, अंडमान लक्षद्वीप बन्दरगाह निर्माण कार्यों हेतु स्थापना प्रभार तथा लघु पत्तनों के विकास हेतु अध्ययन के लिए है।
10. यह आयोजना व्यवस्था अनुसंधान और विकास संबंधी योजनाओं के व्यय के लिए है। यह आयोजना-भिन्न व्यवस्था अंडमान और लक्षद्वीप बन्दरगाह संबंधी निर्माण कार्यों आदि के स्थापना प्रभारों के लिए है।
- 11, 12 और 13. दीपस्तम्भ और दीपपोत संगठन सरकार का एक अधीनस्थ संगठन है, जो नौचालन संबंधी सहायक-साधनों की व्यवस्था करता है, जिनमें बोयास, डेका नेवीगेटर चेन, रेडियो बीकन आदि शामिल हैं। यह संगठन पोतों के दिशानिर्देश के लिए दीपस्तम्भों का निर्माण और रख-रखाव भी करता है। यह आयोजना व्यवस्था दीप स्तम्भों के निर्माण और विकास पर होने वाले पूंजी व्यय तथा अन्य नौचालन संबंधी सहायक साधनों के लिए है इसे भारतीय दीपस्तम्भ अधिनियम, 1927 के उपबंधों के अनुसार एकत्रित प्रकाश प्राप्ति से पूरा किया जाता है।
14. यह व्यवस्था नौवहन महानिदेशालय की स्थापना के लिए है जो वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत एक सांविधिक प्राधिकरण है। यह वाणिज्यिक नौवहन कानूनों के संबंधित सभी मामलों के लिए नियमन संबंधी कार्य करता है। यह निदेशालय नाविकों के कल्याण के देख-रेख के अलावा मर्चेंट नेवी के प्रशिक्षण की सुविधाएं भी प्रदान करता है।
15. यह व्यवस्था सर्वेक्षण जहाजों की खरीद, सूचना प्रौद्योगिकी के विकास और भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय के विकास के लिए है।
16. यह व्यवस्था एच.डी.पी.ई. लि. को आयोजना-भिन्न अर्थोपाय ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए है ताकि कंपनी अपने संसाधनों में अंतर को पूरा करने में सक्षम हो सके।
17. यह प्रावधान केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम (सीआईडब्ल्यूटीसी) को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सहायता देने के लिए है।
18. यह प्रावधान हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, गैर-केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शिपयार्ड्स और निजी क्षेत्र के शिपयार्ड्स को सब्सिडियों के भुगतान के लिए है।
19. यह प्रावधान पोत निर्माण हेतु अनुसंधान और विकास योजनाओं के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने और राष्ट्रीय पोत डिजाइन एवं अनुसंधान केन्द्र के प्रशासनिक खर्चों के लिए है।
20. यह प्रावधान पोत अनुषंगी विकास, अध्ययनों, नौ चालन उद्योग को सब्सिडी प्रदान करने और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए है।
21. यह व्यवस्था कोलकाता पत्तन न्यास सेतुसमुद्रम शिप केनाल परियोजना के नदी विनियामक निर्माण कार्यों के लिए और बड़े पत्तनों हेतु एक समान तथा वैब आधारित सामुदायिक साझेदारी संदेश के आदान-प्रदान का कार्यान्वयन करने हेतु है।
22. इस व्यवस्था में मुख्य पत्तन न्यासों, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, और हुगली गोदी के आयोजना व्यय के लिए बजटीय सहायता शामिल है। पत्तन न्यासों को आयोजना-सहायता मुख्यतः पत्तनों में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए है ताकि के पत्तन वहां आने वाले पोतों की किस्म और वहां उनके द्वारा लादे/डोए जाने वाले माल की मात्रा और किस्म के अनुरूप बन सके और पत्तनों पर वर्तमान सुविधाओं के अधुनिकीकरण, नवीनीकरण और प्रतिस्थापन के लिए भी सहायता दी जाती है। यह ऋण सहायता वर्तमान सुविधाओं के नवीकरण/प्रतिस्थापन और उनमें वृद्धि करने पर उनका उपयोग करने के लिए हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और हुगली गोदी को दी जाती है।
23. यह व्यवस्था अनुसंधान तथा विकास समेत तकनीकी अध्ययनों के लिए है।
24. भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, अनुसंधान और विनियमन तथा देश में अन्तर्देशीय जल परिवहन विकास के संबंध में सरकार को सलाह देने के लिए जिम्मेदार है। प्राधिकरण को दी जा रही अनुदान सहायता का उद्देश्य नदी संरक्षण कार्य, टर्मिनल का निर्माण, राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण के प्रशासनिक खर्चों के संबंध में व्यय की पूर्ति करना है। प्राधिकरण को आयोजना-भिन्न अनुदान सहायता का उद्देश्य इसकी स्थापना लागत को पूरा करना है।
25. यह व्यवस्था केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड को कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए है।
26. इसमें उनके द्वारा ऋण ब्याज आर्थिक सहायता स्कीम के अधीन अंतर्देशीय जल परिवहन उद्यमियों को कम ब्याज दर पर दिए गए ऋणों के संबंध में ब्याज विभेदक के लिए वित्तीय संस्थाओं को भुगतान के लिए भी व्यवस्था शामिल है। इस व्यवस्था में केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम को नदी संरक्षण हेतु बजटीय सहायता देना भी शामिल है।
27. यह व्यवस्था बंगलादेश सरकार के साथ पारगमन और व्यापार करार के संबंध में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए है।
28. यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए है।